पटना में दिनांक–20 फरवरी, 2024 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1.	"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के इतर संलग्न परिशिष्ट –1 में अंकित पदों एवं निर्धारित दर के अनुसार अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओ की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार एवं मार्गदर्शन की स्वेच्छानुसार अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान करने एवं कुल ₹9,20,75,000/–(नौ करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार रूपया) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	बिहार राज्य में सामुदायिक/चलन्त शौचालय एवं सीवेज के सेप्टिक टैंक के मल का इन–सीटू उपचार तथा विभिन्न नदियों में गिरने वाले 305 नालों के बायोरेमेडिएशन के माध्यम से उपचार योजना के कार्यान्वयन हेतु संभावित व्यय रूपया 3,28,03,94,545/–(जी०एस०टी० एवं टी०पी०आई० सहित) (तीन सौ अठाईस करोड़ तीन लाख चौरानवें हजार पाँच सौ पैंतालिस रूपया) मात्र का राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

3.	वित्तीय वर्ष 2023–24 में लघु शीर्ष–129–राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त ₹3788.00 लाख (सैंतीस करोड़ अठासी लाख रूपये) मात्र स्वीकृति के अधीन रहते हुए स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹3722.25 लाख (सैतीस करोड़ बाईस लाख पच्चीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

4. लोकहित में पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था हेतु सभी प्रकार के डीजल चालित बस/मिनी बस का परिचालन आगामी दिनांक–01.09. 2024 से प्रतिबंधित करने एवं दिनांक–31.08.2024 तक उन्हें सी0एन0जी0 चालित/ इलेक्ट्रिक वाहन से अनिवार्यतः प्रतिस्थापित करने का अवसर प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु विधेयक प्रारूप का अनुमोदन एवं इसे बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में उपस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

6. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग अंतर्गत अनुदेशक पद के पूर्व से सृजित कुल–1269 पदों में से कुल–543 पदों के प्रत्यर्पण, शेष 726 पदों के संकायवार पुनर्गठन तथा वरीय अनुदेशक का कुल–145 पद एवं प्रधान अनुदेशक का कुल–70 पद अर्थात् कुल–215 (दो सौ पन्द्रह) पदों के सृजन के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

7. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक संवर्ग अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक पद के पूर्व से सृजित कुल–1061 पदों का संकायवार पुनर्गठन तथा प्रयोगशाला सहायक का कुल–36 पद, वरीय प्रयोगशाला सहायक का कुल–200 पद एवं प्रधान प्रयोगशाला सहायक का कुल–100 पद अर्थात् कुल–336 (तीन सौ छत्तीस) पदों के सृजन के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

8. "बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024" की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9. राज्य योजनान्तर्गत पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं परिसर के विकास हेतु कुल रू० 2,12,38,00,000/-(दो अरब बारह करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. राज्य योजनान्तर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के भवन निर्माण हेतु बख्तियारपुर में चिन्हित भूखण्ड पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल रू० 2,19,21,00,000/-(दो अरब उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्त्तमान में संचालित इन्टर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर अकादमी सत्र 01.04.2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. मो० कामिल अख्तर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 833/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-भू- अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा, निगरानी धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार को "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलंबित अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा" का दंड देने की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उप चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कर्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) का हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस०निदेशालय)

15.	सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत कतिपय पदों यथा–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सांख्यिकी सहायक एवं महिला पर्यवेक्षिका के वेतन भत्ता मद में केन्द्रांश की राशि का प्रावधान समाप्त करने के कारण सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना के कतिपय पदों का वेतन भत्ता (संविदा सहित) राज्य योजना मद से लगभग ₹1,85,64,20,000 (एक सौ पचासी करोड़ चौसठ लाख बीस हजार रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय करने एवं राज्य सरकार पर लगभग ₹46,41,04,000 (छियालीस करोड़ एकतालीस लाख चार हजार रूपये) मात्र के वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार की स्वीकृति के संबंध में।	15. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

16.	बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।	16. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

17.	सिविल विमानन निदेशालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 05 वर्षों के लिए एक हेलिकॉप्टर वेट लीज पर लेने के संबंध में।	17. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

18.	शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर में वर्ष–1984 में तदर्थ/अस्थायी रूप से नियुक्त 04 (चार) कक्षपालों की सेवा दिनांक–16.01.1994 के प्रभाव से नियमित करने के संबंध में।	18. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

19.	राज्य की 38 जिला परिषदों में 2554 अतिरेक पदों को प्रत्यर्पित करते हुए आवश्यकता आधारित 349 नये पदों के सृजन के संबंध में।	19. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

20.	वाणिज्य–कर विभाग के पिछले बकाया विवादों के समाधान हेतु बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में उपस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	20. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

21.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक –2024 के स्वीकृति के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

22.	बिहार में वनों के बाहर वृक्षों का आकलन, बढ़ते स्टॉक एवं कार्बन अनुमान सहित (Assessment of Trees Outside Forest including Growing Stock & Carbon Estimation in Bihar) विषय पर डाटा संग्रहण कार्य हेतु जल–जीवन–हरियाली योजनान्तर्गत कुल ₹317.12536 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख बारह हजार पांच सौ छत्तीस रूपये) मात्र का व्यय एवं मनोनयन प्रक्रिया के तहत इस कार्य को भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	22.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

23.	बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में प्रथम 1,21,10,525 परिवार को आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) से आच्छादित करने के पश्चात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभार्थियों के डेटाबेस से शेष बचे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करते हुए इसका संचालन आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत प्लेटफार्म पर किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25.	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4(2), 5, 25 एवं 27 में संशोधन कर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।	25.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 5, 6, 10, 29 एवं धारा 31 में संशोधन कर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

27. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय के पुनर्गठन करते हुए वायुयान संगठन निदेशालय में नये 78 पदों के सृजन और 42 पदों के प्रत्यर्पण तथा उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में नये 50 पदों के सृजन एवं 48 पदों के प्रत्यर्पण के संबंध में। — **27. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

28. वित्तीय वर्ष 2023–24 में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु 212.6890 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 106.3445 करोड़ (एक सौ छः करोड़ चौतीस लाख पैतालिस हजार) रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **28. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

29. मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय) अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग के मुख्य अभियंता का 01 (एक) पद, अधीक्षण अभियंता का 01 (एक) पद एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 02 (दो) पद अर्थात कुल 04 (चार) नये पदों के सृजन तथा प्रति माह ₹4,84,000/–(चार लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की दर से व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

30. स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय (गैर योजना) के तहत मुंगेर परिक्षेत्र अन्तर्गत जलाशय प्रबंधन के लिए जलाशय डिविजन की स्थापना हेतु विभिन्न कोटि के कुल 14 नये पदों के सृजन तथा प्रति माह कुल रूपये 8,67,000/–(आठ लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र की दर से व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

31. बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सृजित बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी (Bihar Fire Training Academy), आनन्दपुर, बिहटा, पटना के लिए विभिन्न कोटि के कुल–92 पदों के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

32. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में वर्त्तमान में कार्यरत 7 प्रमण्डलों के अतिरिक्त 2 नए कार्य प्रमण्डल–मोतिहारी एवं सहरसा प्रमण्डल का सृजन एवं उक्त प्रमण्डल हेतु अभियंत्रण संवर्ग के विभिन्न कोटि के कुल–32 (बत्तीस) अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

32. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

33. पटना जिलान्तर्गत यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जनसंख्या एवं निबंधित वाहनों के अनुपात में यातायात जिला पटना के लिए पुलिस उपाधीक्षक के 02 पद, पुलिस निरीक्षक के 04 पद, परिचारी के 03 पद सहायक अवर निरीक्षक के 60 पद एवं हवलदार के 140 पदों सहित कुल 209 पदों के सृजन के संबंध में।

33. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

34. आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने, विधि–व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 176 (एक सौ छिहत्तर) ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति के संबंध में।

34. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

35. अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 43 पुलिस अनुमंडलों में पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में।

35. स्वीकृत।